‘द हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम’

चर्चा में क्यों?

20 जून, 2023 को हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्ग लोगों को दी जाने वाली पेंशन की तर्ज पर 75 वर्ष से ज्यादा आयु के पेड़ों को भी पेंशन देगी। इस संबंध में सरकार ने ‘द हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम’ तैयार करके अधिसूचित कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- ‘द हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम’के तहत दी जाने वाली यह पेंशन 2500 रुपए प्रतिवर्ष होगी। अब लोग अपने घर के आंगन में खड़े और खेत में लगे हुए 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों की पेंशन के हकदार होंगे।
- फिलहाल यह स्कीम 5 साल के लिये बनाई गई है, बाद में आवश्यकता एवं सुझावों के आधार पर इसमें आगे सुधार किया जाता रहेगा।
- स्कीम में एक ही बीज से उत्पन्न पेड़ों को शामिल किया गया है। फिकसबेंगालेंसिस की तरह एक बीज से उत्पन्न होने वाले पेड़ों के उपवन को भी एक ही पेड़ माना जाएगा।
- इस स्कीम में गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ शामिल नहीं हैं। वन भूमि पर खड़े पेड़ इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे।
- पर्यावरण मंत्री ने बताया कि ‘द हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम’में 75 वर्ष से अधिक आयु के किन-किन पेड़ों को शामिल किया जाएगा, यह निर्णय डिविजिनल फॉरेस्ट ऑफिसर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी द्वारा किया जाएगा।
- प्राण वायु देवता पेड़ के रख-रखाव के लिये राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन की राशि पेड़ के मालिक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- प्राण वायु देवता पेड़ की पेंशन हर वर्ष ‘ओल्ड ऐज सम्मान पेंशन स्कीम’की तर्ज पर हर वर्ष बढ़ाई जाती रहेगी।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-haryana-pran-vayu-devta-pension-scheme